रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 1974/श्रावण 14, 1896

No. 344] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 1974/SRAVANA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August 1974

S.O. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4B of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Act, 1972, as amended by the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Ordinance 1974 (No. 4 of 1974), the Central Government hereby directs that with effect from the 5th day of August, 1974, the general superintendence, direction and management of the affairs and business of the undertaking of the Company, shall be carried on, for and on behalf of the Central Government, by the Board of Management.

[No. Ind.II-10(79)/74]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1974

का० आ० 481(अ).—इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम 1972, के खण्ड 4 की के उपखण्ड (1) और (2), जिसका इण्डियन आयरन एण्ड.स्टील कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) आशोधन अध्यादेश 1974 (1974 की संख्या 4) द्वारा आशोधन किया गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि 5 अगस्त, 1974 से कम्पनी के उपक्रम का सामान्य अधीक्षण, मार्ग दर्शन और कम्पनी का कार्य-प्रबन्ध तथा व्यवसाय-प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार की ओर से तथा केन्द्रीय सरकार के लिए प्रबन्ध मंडल द्वारा चलाया जायेगा।

[सं० इण्ड०-II-10(79)/74]

एस० एस० सिद्धू, संयुक्त सचिव।

THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974